

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक:-3 कृषि बजट विविध उपयोगिता-19/2015 4324 कृ० पटना दिनांक:-25-08-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

श्री बृज मोहन जोशी
जिला कृषि पदाधिकारी शेखपुरा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक लम्बित डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु दिनांक-04.08.2015 को आयोजित बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में।


प्रसंग:- विभागीय पत्रांक:-3826 दिनांक-30.07.2015।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दिनांक-04.08.2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न से लम्बित डी०सी० विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें न तो आप स्वयं उपस्थित हुए, न ही आपके द्वारा किसी प्रतिनिधि को भेजा गया। जिसके कारण आपके जिले का ए०सी०/डी०सी० विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा नहीं हो सकी।

अतः इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :- 4324

/कृ०, पटना दिनांक.....25-08-2015

प्रतिलिपि:- कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव कृषि के प्रधान आप्त सचिव /कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक उद्यान बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- 4324

/कृ०, पटना, दिनांक:25-08-2015

प्रतिलिपि :-उप निदेशक, (शष्य) सूचना /आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

